रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2012/श्रावण 10, 1934
No. 392] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2012/SHRAVANA 10, 1934

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 605(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (अधिनियम, 2008 का 27) की धारा 51 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के सचिव के पद से संबंधित सेवा की निबंधन एवं शर्तों का विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन-बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आदि.—उपयुर्क्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, पात्रता, अनुभव, अर्हता उक्त अनुसूची-I के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट होगी ।

4. निरर्हता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है या शादी का करार किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने जीवनसाथी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से शादी की है या शादी का करार किया है,

उक्त पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा :

किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्तियों या विवाह से संबंधित अन्य पक्षकार, पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन अनुमेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना अनिवार्य और समीचीन है, तो लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके व्यक्तियों के ऐसे किसी वर्ग या श्रेणी से संबंधित इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों में कोई बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा विशेष प्रक्रम के व्यक्तियों को दिए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सचिव	01	समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 37,400-67,000 रु. (ग्रेड वेतन 10,000 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या प्रोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वह ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :— (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपये तथा ग्रेड वेतन 8700 रुपये के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की है, और (ख) जिनके पास विमानन के क्षेत्र में कम से कम तीन (3) वर्ष का अनुभव हो और विमानपत्तन आर्थिक और प्रबंधन में उपयुक्त अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी । इस नियुक्ति से ठीक पूर्व में केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित अन्य बाह्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी)-लागू नहीं होता । (1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय —अध्यक्ष (2) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधि —सदस्य (3) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण —सदस्य (4) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले संगत क्षेत्र से प्रतिष्ठित एक बाहरी विशेषज्ञ —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए.-12018/001/2011-एडी]

आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2012

G.S.R. 605(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 read with clause (e) of sub-section (1) of Section 51 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (Act 27 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of service relating to the post of Secretary to the Airports Economic Regulatory Authority, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Airports Economic Regulatory Authority (Secretary), Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, classification, pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band, grade of pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, etc.—The method of recruitment, eligibility, experience and qualification relating to aforesaid post shall be as specified in Column (5) to (8) of the said Schedule - I.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operations of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.

SCHEDULE - I

Name of post	Number of Post	Classification	Pay Band, Grade Pay and Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Secretary	01	Group 'A' Gazetteed Non-Ministerial	Pay Band-4 Rs. 37,400-67,000 (Grade Pay Rs. 10,000)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By Deputation	**Deputation :** Officers under the Central Government :— (A) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay or Rs. 37400-67000, Grade Pay of Rs. 8700 in P. B.-4 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) having a minimum three (3) years' of experience in the field of aviation. Preference shall be given to the officers with suitable experience in airport economics and management. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years. As on the closing date of receipt of the applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotional Committee (DPC)—Not Applicable **Selection Committee**— (I) Secretary, Ministry of Civil Aviation —Chairman (II) Representative of Department of Personal and Training —Member (III) Chairman, Airport Economic Regulatory Authority —Member (IV) An outside expert of eminence from the relevant field to be nominated by the Central Government —Member	Not Applicable.

[F. No. A. 12018/001/2011-AD]

ALOK SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.